UPHR010050762026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०) एक्ट, हरदोई।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2425/2026

इमरान पुत्र जहिर निवासी ग्राम निजामपुर, थाना लोनार, जिला हरदोई।

---------- प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य -------- ---------- अभियोगी

1– प्रार्थी/अभियुक्त **इमरान** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 84/2021, अन्तर्गत धारा 504, 506, 120B भा०द०सं० एवं धारा 3(2)(Va), 3(1)(ध) एस०सी०/ एस०टी०(पी०ए०) एक्ट, थाना लोनार, जिला हरदोई में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त वारंट पर जेल में निरूद्ध है।

2– संक्षेप में अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रार्थी ने पूर्व में भी नाजिम खां व मुर्गों से अपनी जान माल के खतरे से संबंधित सूचना अपने ट्वीटर के माध्यम से हरदोई पुलिस को कर चुका था। इसके बाद दिनांक 27 फरवरी को प्राथर्थी को एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें विपक्षी इमरान चिल्ला चिल्लाकर जाति सूचक गालियां दे रहा था तथा एक बोतल शराब के बदले में प्रार्थी को गोली मारने की बात कर रहा था। विपक्षीगण प्राथर्थी के खेत पर आ गये। उपरोक्त विपक्षीगण ने मारापीटा, गन्दी गन्दी गालियां दी जब उसने मना किया तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी द्वारा थाना लोनार पर दर्ज करायी गयी।

3– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिए गए हैं कि प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमे में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी निर्दोष है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। माननीय उच्च न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नही किया है, न विचाराधीन है और न निरस्त हुआ है। अतः जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

4– वादी को नोटिस जारी की गयी जो तामील हुयी, परन्तु वादी की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी।

5– जमानत प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में अभियुक्तपक्ष के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजनपक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6– प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र आ चुका है। धारा 3(2)(Va), 3(1)(ध) एस०सी०/ एस०टी० (पी०ए०) एक्ट के अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य अभिकथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। अभियुक्त वारंट पर दिनांक 28–05–2026 से जेल में निरूद्ध है। अतः प्रकरण के

तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार प्रार्थनापत्र जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **इमरान** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु० **25,000/- (पच्चीस हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की **दो प्रतिभू** प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक 20-07-2026

प्रभारी विशेष न्यायाधीश,एस०सी०/एस०टी
(पी०ए०) एक्ट, हरदोई।